

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
प्रार्थना पत्र संख्या

:— श्री संजीव कुमार, आर ए एस
:— 244/2025
उनवान

1. कालुराम पुत्र बिरदू जाति बलाई निवासी वार्ड नं० 06 खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

अप्रार्थी

उपस्थित 1 श्री नरेश कुमार आत्रेय अधिवक्ता(प्रार्थी)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरुस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 10/10/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीया की हाल आराजी खसरा नंबर 3762,3763,3764,3765,3766 कुल किता 05 रकबा 0.8600 हैक्टर वाकै ग्राम खोरालाडखानी पटवार हल्का-खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है, उक्त वर्णित आराजी के सम्पूर्ण भाग में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है। व प्रार्थी के आधारकार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र में नाम कालुराम पुत्र बिरदू अंकित है। जबकि कालु पुत्र बिरदा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित है। इस कारण प्रार्थी को राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के लिए निर्धारित कृषक कल्याण योजनाओं व किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण योजनाओं से वंचित होना पडता है इस कारण प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में कालु पुत्र बिरदा के स्थान पर कालुराम पुत्र बिरदू दुरुस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी के ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण बहस हेतु नीयत किया गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया ।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम कालुराम पुत्र बिरदू दर्ज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित समझते है।


उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि यदि राजहित प्रभावित नहीं हो तो हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 3762,3763,3764,3765,3766 कुल कित्ता 05 रकबा 0.8600 हैक्टर हिस्सा 1/5 वाकै ग्राम खोरालाडखानी पटवार हल्का-खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.में प्रार्थी का नाम कालु पुत्र बिरदा के स्थान पर कालुराम पुत्र बिरदू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को सुनाया गया ।


(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर (राज.)
शाहपुरा जिला